न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/157 दायरा दिनांक : 03.10.2023

उनवान

1– लाल चन्द आत्मज नाराण, जाति धोबी,
2– चन्दू बाई पत्नी स्वर्गीय राधेश्याम, जाति धोबी
3– दुर्गालाल आत्मज धन्नालाल, जाति धोबी
4– हरि चन्द आत्मज धन्नालाल, जाति धोबी
5– बजरंगलाल आत्मज धन्नालाल, जाति धोबी
अकवाम निवासीगण ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– राजूलाल आत्मज नारान, जाति धोबी,
2– जसवन्त आत्मज नारान, जाति धोबी,
3– कान्तीबाई पुत्री नारान, जाति धोबी,
4– मगनलाल आत्मज नारान, जाति धोबी,
अकवाम निवासीगण ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
5– रूकमण बाई पुत्री नारान पत्नी डालचन्द, जाति धोबी प्रेसवाला नारान टाकीज के पास झालरापाटन, जिला झालावाड
6– अजोद बाई बेवा गोपाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
7– सज्जन बाई बेवा धन्नालाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
8– कन्या बाई पुत्री धन्नालाल, जाति धोबी पत्नी मोहन जी धोबी, निवासी भेसोदा गांव, तहसील भानपुरा मध्यप्रदेश
9– तहसीलदार तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

...... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2023/37 दायरा दिनांक : 14.02.2023

उनवान

1– लाल चन्द आत्मज नाराण, जाति धोबी,
2– चन्दू बाई पत्नी स्वर्गीय राधेश्याम, जाति धोबी
3– दुर्गालाल आत्मज धन्नालाल, जाति धोबी
4– हरि चन्द आत्मज धन्नालाल, जाति धोबी
5– बजरंगलाल आत्मज धन्नालाल, जाति धोबी
अकवाम निवासीगण ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– राजूलाल आत्मज नारान, जाति धोबी,
2– जसवन्त आत्मज नारान, जाति धोबी,
3– कान्तीबाई पुत्री नारान, जाति धोबी,
4– मगनलाल आत्मज नारान, जाति धोबी,
अकवाम निवासीगण ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
5– रूकमण बाई पुत्री नारान पत्नी डालचन्द, जाति धोबी प्रेसवाला नारान टाकीज के पास झालरापाटन, जिला झालावाड
6– अजोद बाई बेवा गोपाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
7– सज्जन बाई बेवा धन्नालाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
8– कन्या बाई पुत्री धन्नालाल, जाति धोबी पत्नी मोहन जी धोबी, निवासी भेसोदा गांव, तहसील भानपुरा मध्यप्रदेश
9– तहसीलदार तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

...... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपस्थित श्री सी.पी.खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 20.05.2024

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या 259/दावा/2009 प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.6.2016 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 03.2.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड में आराजी खसरा नं. 19 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 575 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं. 584 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं. 585 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नं. 586 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 587 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 588 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 594 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 595 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 637 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं. 638 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं. 639 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 12 कुल रकबा 11 बीघा 1 बिस्वा व ग्राम काल्याखेड़ी, तहसील पचपहाड में आराजी खसरा नं. 139 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 212 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 250 रकबा 3 बीघा, खसरा नं. 261 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 262 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 275 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा कुल 6 किता कुल रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2016 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 03.02.2020 से वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील संख्या 2023/157 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिकी अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 17.06.2016 के पूर्व भी प्रकरण दिनांक 12.03.2016 को राजस्व लोक अदालत में रखा गया था, परन्तु सम्पूर्ण पक्षकार उपस्थित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण नहीं हुआ और पत्रावली वास्ते साक्ष्य में नियत कर दी गई। दिनांक 17.06.2016 को भी पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतु ही नियत थी, दिनांक 17.06.2016 को भी सम्पूर्ण पक्षकार उपस्थित नहीं थे। ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जाना चाहिए था। अपीलांट दुर्गालाल, हरिश चन्द्र, बजरंग, लालचन्द के उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर है, कानूनन सम्पूर्ण पक्षकारान की सहमति के बाद ही राजस्व लोक अदालत में प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। सम्पूर्ण पक्षकारों की सहमति के अभाव में राजस्व प्रकरण में डिकी पारित नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.06.2016 में कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया कि कितना हिस्सा वादीगण का और कितना हिस्सा प्रतिवादीगण को दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.06.2016 में किसी भी पक्षकार के हिस्सा का स्पष्ट अंकन नहीं है, आदेश व डिकी में स्पष्ट हिस्सा अंकित नहीं करना कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। स्पीकिंग व स्पष्ट आदेश के अभाव में निर्णय एवं डिकी दिनांक 17.06.2016 निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी एवं राजस्व लोक अदालत के प्रावधानों एवं सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के पूर्णतया विपरीत है। डिकी में अंकित प्रतिवादी कम 1 राधेश्याम फौत हो चुका है, जिसके कायम मुकाम चन्दू बाई पत्नी राधेश्याम को पक्षकार अपीलांट बनाया गया है एवं प्रतिवादी कम 5 भूलीबाई बेवा नारान भी फौत हो चुकी है, जिसके कायम मुकामान पूर्व से ही रेकार्ड पर है, इसलिए भूलीबाई को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 17.06.2016 निरस्त फरमायी जावे।

अपील संख्या 2023/37 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिकी अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है, जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव, फाईनल डिकी का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव पर कोई गौर नहीं फरमाया। पटवारी हल्का के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को मौके पर नहीं बुलाया गया और न ही कोई

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सूचना जारी की गई। बंटवारा प्रस्ताव केवल मात्र वादीगण की इच्छानुसार बनाया गया है, जो अवैधानिक है और निरस्त होने योग्य है। इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने भी कोई गौर नहीं फरमाया और एक तरफा रूप से फाईनल डिक्री का आदेश पारित कर दिया, जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद बंटवारा प्रस्ताव पर अपीलांट को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया, जबकि बंटवारा प्रस्ताव बंटवारे के नियम 18 से 21 के पूर्णतया विपरीत था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारे के मेन्डेटरी नियम को नजर अन्दाज कर आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित की है जो सर्वथा कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। बंटवारा प्रस्ताव कानूनी प्रावधानों के तहत एवं बंटवारे के नियमों के तहत स्वयं तहसीलदार ने मौके पर जाकर नहीं बनाया। बंटवारा प्रस्ताव बनाने में अपीलांट के पूर्ण कब्जे को भी ध्यान में नहीं रखा गया। बंटवारा प्रस्ताव में अपीलांट के कब्जे की भूमि रेस्पोडेंट को दे दी गई और अच्छी किस्म की आराजी भी रेस्पोडेंट/वादीगण को ही दी गई। रेस्पोडेंट/वादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपनी इच्छानुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करवाया गया है, जो बंटवारे के नियमों के पूर्णतया विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.02.2018 एवं फाईनल डिक्री दिनांक 03.02.2020 निरस्त फरमायी जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह स्वयं तहसीलदार से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये, बंटवारा प्रस्ताव बनाने से पूर्व पक्षकारान को सूचना भी दी जावे और बंटवारा प्रस्ताव, बंटवारे के नियम 18 से 21 तक मंगवाया जावे। पक्षकारान के पूर्व कब्जे का भी ध्यान रखा जावे एवं बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारान की आपत्तियां सुनने के पश्चात विधिवत रूप से फाईनल डिक्री पारित करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 01.02.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है, जिन्हें रेकार्ड पर लिया जावे।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 446, आर.आर.टी. 2016 (2) पेज 966, आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 247, आर.आर.टी. 2015 (2) पेज 761, आर.आर.टी. 2023 (2) पेज 1241, आर.आर.टी. 2022 (2) पेज 1310, आर. आर. टी. 2022 (2) पेज 988, आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 585 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2009 (1) आर.आर.टी. पेज 432 (एस. सी.), 2021 (4) डी.एन.जे. एस.सी. पेज 1046 व 2004 आर.बी.जे. पेज 535 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश किया है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

बहस उभयपक्षकारान की सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 17.06.2016 पर केवल 8 पक्षकारान के उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा पेश नहीं किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपील 5 व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की गई है। पांचों अपीलांट के हस्ताक्षर दिनांक 17.06.2016 की आदेशिका तथा राजीनामे पर होने से इन्हें अपील

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

लाने का कोई अधिकार नहीं है। राजीनामा पेश किया गया था। सभी पक्षकार राजीनामे के वक्त मौजूद थे। अतः अपील में देरी का शमन करने का कोई आधार नहीं है।

हमारे द्वारा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अध्ययन किया गया तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्व लोक अदालत पीपल्या में दिनांक 17.06.2016 को प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत हुआ, जिस पर पाचों अपीलांट के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी मौजूद है। अतः अपीलांट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय बिना राजीनामे के किया है, त्रुटिपूर्ण है। दिनांक 17.06.2016 को राजीनामे तथा निर्णय के पश्चात् अपील दिनांक 07.02.2023 को प्रस्तुत की गई है। दिनांक 17.06.2016 को प्रारम्भिक डिक्री तथा दिनांक 03.02.2020 की फाईनल डिक्री की अपील कमशः लगभग 7 वर्ष तथा 3 वर्ष पश्चात् पेश की गई है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में भी कोई समुचित कारण नहीं बताया गया है। अतः अपील पेश करने में अत्यधिक विलम्ब किया गया है जिसका कोई समुचित कारण भी नहीं बताया गया है तथा साथ ही राजीनामा दिनांक 17.06.2016 पर सभी अपीलांट्स के हस्ताक्षर होने से अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने का कोई लोकसस्टेन्डाई नहीं रहता तथा दिनांक 17.06.2016 से ही इन्हें निर्णय की जानकारी होना सिद्ध होता है। अतः हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय राजीनामे के आधार पर किया गया विधि सम्मत निर्णय है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2023/157 एवं 2023/37 अपीलांट खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2016 तथा फाईनल डिक्री दिनांक 03.02.2020 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/5/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या 2023/157

1– लाल चन्द आत्मज नाराण, जाति धोबी,
2– चन्दू बाई पत्नी स्वर्गीय राधेश्याम, जाति धोबी
3– दुर्गालाल आत्मज धन्नालाल, जाति धोबी
4– हरि चन्द आत्मज धन्नालाल, जाति धोबी
5– बजरंगलाल आत्मज धन्नालाल, जाति धोबी अकवाम निवासीगण ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... **अपीलांट**

1– राजूलाल आत्मज नारान, जाति धोबी,
2– जसवन्त आत्मज नारान, जाति धोबी,
3– कान्तीबाई पुत्री नारान, जाति धोबी,
4– मगनलाल आत्मज नारान, जाति धोबी, अकवाम निवासीगण ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
5– रूकमण बाई पुत्री नारान पत्नी डालचन्द, जाति धोबी प्रेसवाला नारान टाकीज के पास झालरापाटन, जिला झालावाड
6– अजोद बाई बेवा गोपाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
7– सज्जन बाई बेवा धन्नालाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
8– कन्या बाई पुत्री धन्नालाल, जाति धोबी पत्नी मोहन जी धोबी, निवासी भेसोदा गांव, तहसील भानपुरा मध्यप्रदेश
9– तहसीलदार तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... **रेस्पोडेंट**

अपील संख्या 2023/37

1– लाल चन्द आत्मज नाराण, जाति धोबी,
2– चन्दू बाई पत्नी स्वर्गीय राधेश्याम, जाति धोबी
3– दुर्गालाल आत्मज धन्नालाल, जाति धोबी
4– हरि चन्द आत्मज धन्नालाल, जाति धोबी
5– बजरंगलाल आत्मज धन्नालाल, जाति धोबी अकवाम निवासीगण ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... **अपीलांट**

बनाम

1– राजूलाल आत्मज नारान, जाति धोबी,
2– जसवन्त आत्मज नारान, जाति धोबी,
3– कान्तीबाई पुत्री नारान, जाति धोबी,
4– मगनलाल आत्मज नारान, जाति धोबी, अकवाम निवासीगण ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
5– रूकमण बाई पुत्री नारान पत्नी डालचन्द, जाति धोबी प्रेसवाला नारान टाकीज के पास झालरापाटन, जिला झालावाड
6– अजोद बाई बेवा गोपाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
7– सज्जन बाई बेवा धन्नालाल, जाति धोबी, निवासी ग्राम राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड
8– कन्या बाई पुत्री धन्नालाल, जाति धोबी पत्नी मोहन जी धोबी, निवासी भेसोदा गांव, तहसील भानपुरा मध्यप्रदेश
9– तहसीलदार तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **2023/157, 2020/37** एवं नाराजगी डिकी अदालत –**उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी**
मु.द.नं **259/दावा/2009** प्राथमिक डिकी दिनांक **17.06.2016** एवं फाईनल डिकी दिनांक **03.02.2020**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **07** माह **05** सन् **2024**

हाजरी **श्री सी0 पी0 खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री नरेन्द्र गुप्ता** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट नं0 1 व शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

दोनों अपीले अपील संख्या **2023/157** एवं **2023/37** अपीलांट खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक **17.06.2016** तथा फाईनल डिक्री दिनांक **03.02.2020** यथावत रखे जाते हैं।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज **तारीख 20 माह 05 सन् 2024** को जारी किया गया।

(मोहर — भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा)

(ममता कुमारी तिवारी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज0)